भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow

केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : rocz.lko-mef@nic.in, goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 : 8बी/यू0पी0/06/46/2017/एफ.सी./139 दिनांक : 16.10.2024

सेवा में,
अति0 मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/16134/2015

विषयः जनपद–देवरिया में सोनौली–बलिया मार्ग एस0एच0–1, किमी0 153–154 के मध्य ग्राम–अहिलवार बुजुर्ग, तहसील–सदर, जनपद–देवरिया में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 613/11–सी–FP/UP/Others/16134/2015, दिनांक 02.09.2024.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेष शासन के पत्रांक 1177/81–2–2020–800(125)/2016, दिनांक 11.08.2020 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रष्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के सम–संख्यक पत्र दिनांक 05.12.2023 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आवष्यक जानकारी/सूचना मांगी गयी थी, जिसकी अनुपालना उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गई है। प्रेषित अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देष हुआ है कि चाही गयी सूचनाओं की अनुपालना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना/जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध कराएं ताकि प्रकरण में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके:–

1. The name of the person/authority responsible for violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 has not been informed by State Government, so as to initiate action under 3A/3B of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. Thus, State Govt. is again requested to provide the name of the person/authority responsible for violation. Accordingly action taken report under 3A/3B needs to be submitted.

भवदीया,

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
4. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, देवरिया।
5. डिवीजनल मैनेजर, नायरा एनर्जी लि0(एस्सार ऑयल लि0) अरिहंत काम्पलेक्स, सिगरा, वाराणसी।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

16.10.2024
(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 1090 /11–सी–FP/UP/Others/16134/2015, लखनऊ, दिनांकः अक्टूबर 21 ,2024

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– डिविजनल मैनेजर, नयारा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0), अरिहन्त काम्पलेक्स, सिगरा, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।